	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	आज्ञा: किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत प्राप्त पट्टा मूल की बाबत हुई गड़बड़ी प्रकरणों का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में केवल हस्ताक्षरी लेख एक बाबत मत भिन्न होने पर लेने की सुविधा का लाभ एवं काश्तकार द्वारा प्रार्थी द्वारा के मत में लाभान्वित होने पर प्रार्थी का प्राप्त लाभ स्वीकार किया जाता है। प्रकरणों में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा हुक्मनामे के निस्तारण तक बरकरार रखी जाती है। प्रकरणों में केवल सुधार होकर हुक्मनामे के लिये केवल रहे।	

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)